ISSN: 2583-0511 (Online)

# पशुओं के कानूनी अधिकार

*डॉ. ममता, डॉ. रजनीश सिरोही , डा. दीप नारायण सिंह एवं*
*डा. यजुवेंद्र सिंह*
***पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय***
***दुवासु, मथुरा***

लोगों का एक समूह मानता है कि पशुओं को भी मनुष्यों के समान अधिकार मिले और मनुष्यों द्वारा भोजन या शोध के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अन्य सोचते हैं कि जानवरों को अनुसंधान या अन्य मानव आवश्यकताओं के लिए नियोजित करना ठीक है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या जानवरों के अधिकार होने चाहिए? और काफी सरलता से, जवाब होता है "हां!" क्यों नहीं !! जानवर निश्चित रूप से पीड़ा और शोषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकारी हैं। जब किसी के अधिकारों का निर्णय लेते हैं, तो सवाल यह नहीं है कि क्या वे तर्क कर सकते हैं, 'क्या वे बात कर सकते हैं?' बल्कि 'क्या वे पीड़ित हो सकते हैं? पीड़ा की क्षमता भाषा से संबोधित नहीं हो सकती। सभी जानवरों के पास पीड़ित होने की क्षमता होती है। उन्हें दर्द, भय, निराशा, अकेलापन, और मातृ प्यार अनुभव होता है। जीने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक प्राणी को दर्द और पीड़ा से मुक्त रहने का अधिकार है।

भारत में सिर्फ मानवाधिकार ही नहीं हैं, बल्कि पशुओं के भी कानूनी अधिकार हैं। हमें जानना चाहिए कि पशुओं को कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय कानून में पशुओं की हिफाजत के लिए कम से कम 15 कानून हैं आइये इस लेख के माध्यम से इन नियमों पर एक नजर डालते हैं।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है।
- मांस को लेकर निर्देश : कोई भी पशु (मुर्गी समेत) सिर्फ बूचड़खाने में ही काटा जाएगा। बीमार और गर्भ धारण कर चुके पशु को मारा नहीं जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट और फूड सेफ्टी रेगुलेशन में इस बात पर स्पष्ट नियम हैं।
- पशुओं पर पशुता न करें भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना या अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों न हो, दंडनीय अपराध है।
- पशु को आवारा बनाना : प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट (पीसीए) 1960 के मुताबिक किसी पशु को आवारा छोड़ने पर तीन महीने की सजा हो सकती है।
- बंदर पालना वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत बंदरों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। कानून कहता है कि बंदरों से नुमाइश करवाना या उन्हें कैद में रखना गैरकानूनी है।

ISSN: 2583-0511 (Online)

➢एनिमल बर्थ कंट्रोल (2001) डॉग्स रूल : इस नियम के तहत कुत्तों को दो श्रेणियों में बांटा गया है- पालतू और आवारा। कोई भी व्यक्ति या स्थानीय प्रशासन पशु कल्याण संस्था के सहयोग से आवारा कुत्तों का बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन कर सकती है। उन्हें मारना गैरकानूनी है।

➢पशुओं की देखभाल : जानवर को पर्याप्त भोजन, पानी, शरण देने से इनकार करना और लंबे समय तक बांधे रखना दंडनीय अपराध है। इसके लिए जुर्माना या तीन महीने की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।

➢पशुओं को लड़ाना : पशुओं को लड़ने के लिए भड़काना, ऐसी लड़ाई का आयोजन करना या उसमें हिस्सा लेना गंभीर अपराध है।

➢एनिमल टेस्टिंग : ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के मुताबिक जानवरों पर कॉस्मेटिक्स का परीक्षण करना और जानवरों पर टेस्ट किये जा चुके कॉस्मेटिक्स का आयात करना प्रतिबंधित है।

➢बलि पर बैन : स्लॉटरहाउस रूल्स 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि देना गैरकानूनी है।

➢चिड़ियाघर का नियम : चिड़ियाघर और उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या तंग करना दंडनीय अपराध है। पीसीए के तहत ऐसा करने वाले को तीन साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

➢पशुओं का परिवहन (पशु परिवहन अधिनियम) : पशुओं को असुविधा में रखकर, दर्द पहुंचाकर या परेशान करते हुए किसी भी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मोटर व्हीकल एक्ट और पीसीए एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।

➢कोई तमाशा नहीं : पीसीए एक्ट के सेक्शन 22 (2) के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर और बैल को मनोरंजन के लिए ट्रेन करना और इस्तेमाल करना गैरकानूनी है।

➢घोंसले की रक्षा : पंछी या सरीसृप के अंडों को नष्ट करना या उनसे छेड़छाड़ करना या फिर उनके घोंसले वाले पेड़ को काटना या काटने की कोशिश करना शिकार कहलाएगा। इसके दोषी को सात साल की सजा या 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

➢जंगली जानवरों को कैद करना :किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना, जहर देना या लालच देना दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को सात साल की सजा या 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

ISSN: 2583-0511 (Online)

➢यहाँ यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि पशु क्रूरता किसे माना जाए? इसके लिए पीसीए 1960 का अध्याय 3, पशुओं के प्रति क्रूरता का विस्तृत उल्लेख करता है, जोकि निम्नवत है

➢सेक्शन 11 में यदि कोई व्यक्ति-इनमे से कोई भी कृत्य करता है तो वह पशुओं के प्रति क्रूरता के व्यवहार के दायरे में आता है -

(क) किसी पशु को पीटेगा, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी करेगा, उस पर सवारी करके उसे अत्यधिक हांकेगा, उस पर अत्यधिक बोझ लादेगा, उसे यंत्रणा देगा, या अन्यथा उसके साथ ऐसे बर्ताव करेगा या करवाएगा जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना होती है, या स्वामी होते हुए किसी पशु के प्रति इस प्रकार का बर्ताव करने देगा अथवा

(ख) किसी कार्य श्रम में, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे पशु को लगाएगा जो अपनी आयु या किसी रोग, अंग-शैथिल्य, घाव, फोडे के कारण अथवा किसी अन्य कारण से इस प्रकार लगाए जाने के अनुपयुक्त है, या स्वामी होते हुए ऐसे किसी अनुपयुक्त पशु को इस प्रकार लगाए जाने देगा अथवा

(ग) किसी पशु को जानबूझकर तथा अनुचित रूप से कोई क्षतिकारक औषधि या क्षतिकारक पदार्थ देगा या किसी पशु को जानबूझकर और अनुचित रूप से ऐसी कोई औषधि या पदार्थ, खिलवाएगा या खिलवाने का प्रयास करेगा अथवा

(घ) किसी पशु को किसी यान में, या यान पर, या अन्यथा ऐसी रीति से या ऐसी स्थिति में प्रवहित करेगा या ले जाएगा जिससे कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचती है अथवा

(ङ) किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या अन्य पात्र में रखेगा या परिरुद्ध करेगा, जिसकी ऊंचाई, लम्बाई और चौड़ाई इतनी पर्याप्त न हो कि पशु को उसमें हिल-डुल सकने का उचित स्थान प्राप्त हो सके अथवा

(च) किसी पशु को अनुचित रूप से छोटी या अनुचित रूप से भारी किसी जंजीर या रस्सी में किसी अनुचित अवधि तक के लिए बांधकर रखेगा अथवा

(छ) स्वामी होते हुए, किसी ऐसे कुत्ते को, जो अभ्यासतः जंजीर में बंधा रहता है या बन्द रखा जाता है, उचित रूप से व्यायाम करने या करवाने की उपेक्षा करेगा अथवा

(ज) किसी पशु का स्वामी होते हुए ऐसे पशु को पर्याप्त खाना, जल या आश्रय नहीं देगा अथवा

(झ) उचित कारण के बिना, किसी पशु को ऐसी परिस्थिति में परित्यक्त कर देगा जिससे यह संभाव्य हो कि उसे भुखमरी या प्यास के कारण पीड़ा पहुंचे अथवा

ISSN: 2583-0511 (Online)

ञ) किसी ऐसे पशु को, जिसका वह स्वामी है, जानबूझकर किसी मार्ग में छोड़ कर घूमने देगा जब कि वह पशु किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रस्त हो, या किसी रोगग्रस्त या विकलांग पशु को, जिसका वह स्वामी है, उचित कारण के बिना, किसी मार्ग में मर जाने देगा अथवा

(ट) किसी ऐसे पशु को बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा, या बिना किसी उचित कारण के अपने कब्जे में रखेगा, जो अंगविच्छेद, भुखमरी, प्यास, अतिभरण या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त हो अथवा

(ठ) किसी पशु का अंगविच्छेद करेगा या किसी पशु को (जिसके अन्तर्गत आवारा कुत्ते भी हैं) हृदय में स्ट्रीक्नीन-अन्तःक्षेपण की पद्धति का उपयोग करके या किसी अन्य अनावश्यक क्रूरढंग से मार डालेगा अथवा

(ड) केवल मनोरंजन करने के उद्देश्य से,-

➢किसी पशु को ऐसी रीति से परिरुद्ध करेगा या कराएगा (जिसके अन्तर्गत किसी पशु का किसी व्याघ्र या अन्य पशु वन में चारे के रूप में बांधा जाना भी है) कि वह किसी अन्य पशु का शिकार बन जाए अथवा

➢किसी पशु को किसी अन्य पशु के साथ लड़ने के लिए या उसे सताने के लिए उद्दीप्त पशुओं की लड़ाई के लिए या किसी पशु को सताने के प्रयोजनार्थ, किसी स्थान को सुव्यवस्थित करेगा, बनाए रखेगा उसका उपयोग करेगा, या उसके प्रबन्ध के लिए कोई कार्य करेगा या किसी स्थान को इस प्रकार उपयोग में लाने देगा या तदर्थ प्रस्ताव करेगा, या ऐसे किसी प्रयोजन के लिए रखे गए या उपयोग में लाए गए किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करेगा अथवा

➢गोली चलाने या निशानेबाजी के किसी मैच या प्रतियोगिता को, जहां पशुओं को बंधुआ हालत से इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उन पर गोली चलाई जाए या उन्हें निशाना बनाया जाए, बढ़ावा देगा या उसमें भाग लेगा, तो वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

पशु अधिकार सिर्फ एक दर्शन नहीं है यह एक सामाजिक आंदोलन है जो समाज के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। जानवरों के लिए क्रूरता सबसे बड़े नैतिक मुद्दों में से एक है। उन्हें मनुष्यों के समान अधिकार देने के कार्यान्वयन के मामले बहुत व्यावहारिक प्रतीत नहीं होते है लेकिन निश्चित रूप से जो कदम उनके शोषण को रोकने या कम करने के लिए उठाये जा सकते उन्हें किया जाना चाहिए। पशु संरक्षण केवल कानूनों और विनियमों के प्रवर्तन की बात नहीं है बल्कि मानसिकता में परिवर्तन और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का विषय है।